



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/2025-26/331

विवि.एसटीआर.आरईसी.सं.250./21.04.048/2025-26

28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025

विषयसूची

अध्याय I – प्रारंभिक	3
ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ	3
बी. प्रयोज्यता	3
सी. परिभाषाएँ	4
अध्याय II - सामान्य अनुदेश	7
ए. बोर्ड की भूमिका	7
बी. ऋण देने में विवेक और उपभोक्ता शिक्षा	7
सी. प्रकटीकरण अपेक्षाएं	9
अध्याय III – आस्ति वर्गीकरण	10
ए. आस्ति वर्गीकरण पर सामान्य अनुदेश	10
बी. अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण	11
सी. तुलन-पत्र की तारीख के लगभग आसपास खातों का नियमितीकरण	13
डी. आस्ति वर्गीकरण के विशिष्ट मामले	13
ई. अनर्जक आस्तियों की श्रेणियाँ	18
एफ. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन	19
अध्याय IV - प्रावधानीकरण मानदंड	21
ए. प्रावधानीकरण के लिए सामान्य सिद्धांत	21
बी. मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान	22
सी. अवमानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान	23
डी. संदिग्ध आस्तियों के संबंध में प्रावधान	23
ई. हानि आस्तियों के संबंध में प्रावधान	24
एफ. निर्धारित दरों से अधिक दरों पर अतिरिक्त प्रावधान	24
जी. विशेष परिस्थितियों में प्रावधान	25
एच. प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात (पीसीआर)	31

अध्याय V - आय निर्धारण	32
ए. आय निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांत	32
बी. एनपीए के रूप में वर्गीकरण होने पर आय का प्रतिवर्तन.....	32
सी. एनपीए वर्गीकरण के बाद ब्याज लगाना.....	33
डी. एनपीए से वसूली का विनियोजन	33
ई. विशेष मामलों में आय निर्धारण.....	33
एफ. प्रावधानों के संबंध में कर निर्धारण.....	35
अध्याय VI – निरसन और अन्य प्रावधान	36
ए. निरसन और बचाव.....	36
बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं	36
सी. व्याख्याएं	36
अनुबंध I	38



प्रस्तावना

भारतीय रिज़र्व बैंक ('रिज़र्व बैंक') को सांविधिक रूप से देश की ऋण प्रणाली को उसके हित में संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप तथा वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिंहम) द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने चरणबद्ध रूप में विनियमित ईकाईयों के अग्रिम संविभाग के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किये हैं, ताकि प्रकाशित खातों में अधिक सामंजस्य और पारदर्शिता की दिशा में बढ़ा जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45एल और 45एम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है और वित्तीय क्षेत्र नीति के हित में है, एतद्वारा, इसके बाद विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I – प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण) निदेश 2025 कहा जाएगा।
2. ये निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. ये निदेश अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (जिन्हें आगे 'एआईएफआई' कहा जाएगा) पर लागू होंगे, जैसे कि भारतीय निर्यात आयात बैंक ('एक्जिम बैंक'), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास (एसआईडीबीआई), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक (नैबफिड)।
4. इन निदेशों के अतिरिक्त, एआईएफआई को आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और पुनर्संरचित खातों के लिए अग्रिमों के प्रावधान संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का भी पालन करना होगा, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्धारित है।



सी. परिभाषाएँ

5. इस निदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें प्रयुक्त शब्दों का अभिप्राय नीचे दिए गए अनुसार होगा:

- (1) 'फसल मौसम' से तात्पर्य, प्रत्येक फसल के संबंध में, उस फसल की कटाई तक की अवधि है, जैसा कि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) द्वारा निर्धारित किया गया है;
- (2) 'संदिग्ध आस्ति' से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जो बारह महीने की अवधि तक अवमानक श्रेणी में बनी रही हो;
- (3) 'एक्सपोजर' में सभी निधिक और गैर- निधिक एक्सपोजर (हामीदारी और इसी तरह की प्रतिबद्धताओं सहित) शामिल होंगे।
- (4) 'दीर्घावधि फसलों' से तात्पर्य उन फसलों से है जिनकी फसल अवधि एक वर्ष से अधिक होती है;
- (5) 'हानि आस्ति' से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है जिसमें एआईएफआई या आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए निरीक्षण में हानि की पहचान की गई हो, लेकिन एआईएफआई द्वारा उस राशि को पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया हो;
- (6) 'अनर्जक आस्ति' से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है, जिसमें पट्टे पर दी गई आस्ति भी शामिल है, जिसने एआईएफआई के लिए आय अर्जित करना बंद कर दिया हो;
- (7) 'अतिदेय दर्जा' – किसी भी ऋण सुविधा के अधीन एआईएफआई को देय कोई राशि 'अतिदेय' तब है यदि वह एआईएफआई द्वारा निर्धारित तारीख को अदा नहीं की जाती है;
- (8) 'प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)' से तात्पर्य सकल अनर्जक आस्तियों के प्रावधान का अनुपात है और यह दर्शाता है कि ऋण हानियों को कवर करने के लिए कितनी धनराशि अलग रखी है;



- (9) 'प्रतिभूति' से तात्पर्य एआईएफआई के पास विधिवत रूप से गिरवी रखी गई मूर्त जमानत से है और इसमें गारंटी (राज्य सरकार की गारंटी सहित), चुकौती आश्वासन पत्र आदि जैसी अमूर्त जमानत शामिल नहीं होंगी;
- (10) 'अल्प अवधि की फसलों' से तात्पर्य उन फसलों से है जो 'दीर्घ अवधि' की फसलें नहीं हैं;
- (11) 'अवमानक आस्ति' से तात्पर्य ऐसी आस्ति से है, जो बारह महीने या उससे कम समय के लिए अनर्जक आस्ति (एनपीए) रही हो;
- (12) 'अरक्षित एक्सपोजर' से तात्पर्य ऐसे एक्सपोजर से है, जिसमें किसी एआईएफआई/अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं/रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन के अनुसार प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, प्रारंभ में, बकाया ऋण के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।
- (13) 'इरादतन चूककर्ता' का अर्थ वही होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - इरादतन चूककर्ता और बड़े चूककर्ता का प्रबंधन) निदेश 2025 के तहत परिभाषित किया गया है।
6. 'सूक्ष्म उद्यम', 'लघु उद्यम' और 'मध्यम उद्यम' शब्दों का वही अर्थ होगा जैसा कि 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह' पर [दिनांक 2 जुलाई 2020 के परिपत्र एफआईडीडी.एमएसएमई और एनएफएस.बीसी.सं.3/06.02.31/2020-21](#) में परिभाषित है, जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।
7. 'क्रेडिट इवेंट' और 'डिफॉल्ट' शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में परिभाषित है।
8. 'वाणिज्यिक स्थावर संपदा (सीआरई)', 'वाणिज्यिक स्थावर संपदा - रिहायशी आवास क्षेत्र (सीआरई - आरएच)', 'परियोजना वित्त', और 'वित्तीय पूर्णता' शब्दों का वही अर्थ होगा जो भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - ऋण सुविधाएं) निदेश 2025 में परिभाषित है।
9. जब तक कि इस अधिनियम में परिभाषित न किया गया हो, अन्य सभी अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 या भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या कंपनी अधिनियम, 2013 या इसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियमन या रिज़र्व बैंक



द्वारा जारी अन्य विनियमों या रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित शब्दावली के तहत दिया गया है या वाणिज्यिक बोल-चाल में प्रयुक्त होता है, जैसा भी मामला हो।



अध्याय II - सामान्य अनुदेश

ए. बोर्ड की भूमिका

10. एआईएफआई को इस अध्याय में निहित विनियमों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति तैयार करनी होगी, जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित सिद्धांत/घटक शामिल होंगे:
 - (1) आय निर्धारण की नीति वस्तुनिष्ठ होगी और वसूली के अभिलेखों पर आधारित होगी, न कि किसी व्यक्तिपरक विचार पर;
 - (2) विभिन्न क्षेत्रों में जोखिम और तनाव के मूल्यांकन के आधार पर, मानक आस्तियों के लिए विनियामक न्यूनतम से अधिक दरों पर प्रावधान करने की नीति;
 - (3) स्टॉक ऑडिट और संपार्श्विक के मूल्यांकन के लिए बाहरी एजेंसियों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश।
11. एआईएफआई के निदेशक मंडल को खातों में बिगड़ती आस्ति गुणवत्ता को रोकने और ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए। आस्ति गुणवत्ता में समस्याओं की शीघ्र पहचान और समाधान के लिए एआईएफआई को सक्रिय होना और बड़े ऋणों पर सूचना के केंद्रीय भंडार (सीआरआईएलसी) का उपयोग करना आवश्यक है।

बी. ऋण देने में विवेक और उपभोक्ता शिक्षा

12. एआईएफआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण और अग्रिम देते समय उधारकर्ताओं के साथ परामर्श करके नकदी प्रवाह के आधार पर यथार्थवादी पुनर्भुगतान अनुसूची निर्धारित की जाए, ताकि उधारकर्ताओं द्वारा समय पर पुनर्भुगतान किया जा सके और इस प्रकार अग्रिमों की वसूली के रिकॉर्ड में सुधार हो सके।
13. 31 दिसंबर 2021 को या उसके बाद संस्वीकृत सभी ऋणों के संबंध में एआईएफआई को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:
 - (1) ऋण के पुनर्भुगतान की नियत तिथियां, पुनर्भुगतान की आवृत्ति, मूलधन और ब्याज का विवरण, विशेष उल्लेख खाते (एसएमए) / अनर्जक आस्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण की तिथियों के उदाहरण आदि ऋण करार में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए जाएंगे;



- (2) उधारकर्ता को ऋण संस्वीकृति के समय और ऋण के पूर्ण पुनर्भुगतान तक संस्वीकृति शर्तों / ऋण करार में किसी भी बाद के परिवर्तन के समय इसकी सूचना दी जाएगी;
- (3) मूलधन और/या ब्याज के भुगतान पर अधिस्थगन वाली ऋण सुविधाओं के मामलों में, पुनर्भुगतान प्रारंभ होने की नियत तिथि भी ऋण करार में निर्दिष्ट की जाएगी।

14. 31 दिसंबर 2021 से पहले संस्वीकृति ऋणों के मामले में, जब भी ऐसे ऋण नवीनीकरण/समीक्षा के लिए देय हो जाएंगे तब पैरा 13 में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
15. 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के शेष वाले एनपीए के मामलों में, स्टॉक मूल्यांकन पर विश्वसनीयता बढ़ाने और प्रतिभूति के मूल्य के आकलन में अंतर से उत्पन्न होने वाली भिन्नता को कम करने के लिए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त बाहरी एजेंसियों द्वारा वार्षिक अंतराल पर स्टॉक ऑडिट अनिवार्य होगा।
16. 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक के शेष वाले एनपीए के मामलों में, एआईएफआई के पक्ष में गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों जैसी संपार्श्विक संपत्तियों का मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्त मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा तीन साल में एक बार किया जाएगा।
17. एआईएफआई को ऐसे अधिवक्ताओं से स्पष्टीकरण मांगना होगा जो आस्तियों के वैध स्वामित्व को गलत तरीके से प्रमाणित करते हैं या ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं से जो लापरवाही या मिलीभगत से प्रतिभूति मूल्य का बढ़ा-चढ़ाकर उल्लेख करते हैं। यदि एक माह के भीतर उनसे कोई उत्तर/संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है, तो एआईएफआई उनके नाम आईबीए को सूचित कर सकता है। आईबीए भविष्य में उनकी सेवाएं लेने से पहले विचार करने हेतु ऐसे अधिवक्ताओं/मूल्यांकनकर्ताओं के नाम अपने सदस्यों के बीच प्रसारित कर सकता है। आईबीए इस उद्देश्य के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री का गठन करेगा।
18. उधारकर्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए एआईएफआई को निम्नलिखित अनुदेशों का पालन करना होगा:

- (1) अपनी वेबसाइट पर उपभोक्ता शिक्षा साहित्य प्रकाशित करे, जिसमें उदाहरणों सहित, देय तिथि, विशेष उल्लेख खाता और अनर्जक आस्ति वर्गीकरण एवं उन्नयन की अवधारणाओं को, विशेष रूप से डे-एंड की प्रक्रिया के संदर्भ में समझाया गया हो;
- (2) अपनी शाखाओं में पोस्टर और/या अन्य उपयुक्त माध्यमों से ऐसे उपभोक्ता शिक्षा साहित्य को प्रदर्शित करने पर विचार करे;



(3) यह सुनिश्चित करे कि अग्रिम पंक्ति के अधिकारी ऋण संस्वीकृत/संवितरित/नवीनीकृत करते समय उधारकर्ताओं को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में इन सभी अवधारणाओं के बारे में शिक्षित करें।

सी. प्रकटीकरण आवश्यकताएँ

19. एआईएफआई को भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश 2025 में निहित अपेक्षाओं के अनुसार अपने लेखा-नोटों में उपयुक्त प्रकटीकरण करना होगा।



अध्याय III – आस्ति वर्गीकरण

ए. आस्ति वर्गीकरण पर सामान्य अनुदेश

20. एआईएफआई ऋण या अग्रिम को मानक आस्ति या अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करेगा, जैसा भी मामला हो।
21. एआईएफआई को व्यक्तिगत खाता स्तर के साथ-साथ खंड स्तर (आस्ति वर्ग, उद्योग, भौगोलिक क्षेत्र, आकार आदि) पर आपात के संकेतों का शीघ्र पता लगाने के लिए एक सुदृढ़ प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) तंत्र स्थापित करना होगा। इन प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का उपयोग एक प्रभावी निवारक आस्ति गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा तैयार करने के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें प्रचलित विनियामक ढांचे के भीतर संकटग्रस्त व्यवहार्य खातों के लिए एक पारदर्शी पुनर्गठन तंत्र शामिल हो, ताकि सभी खंडों में उन संस्थाओं के आर्थिक मूल्य को संरक्षित किया जा सके।
22. एआईएफआई की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा एमआईएस प्रणाली सुदृढ़ होनी चाहिए जिससे वह अपनी आस्ति गुणवत्ता के संबंध में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण जानकारी उत्पन्न कर पाए ताकि प्रभावी निर्णय लिया जा सकें। विनियामक/सांविधिक रिपोर्टिंग के तहत दी गई जानकारी और उसकी स्वयं की एमआईएस रिपोर्टिंग के बीच कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए।
23. एआईएफआई, देय तिथि के लिए अपने डे-एंड प्रक्रियाओं के भाग के रूप में, उधारकर्ता खाते को अतिदेय के रूप में चिह्नित करेगा, चाहे ऐसी प्रक्रियाएं किसी भी समय चलाई जाएं।
24. इसी प्रकार, उधारकर्ता खातों का एसएमए और एनपीए के रूप में वर्गीकरण संबंधित तिथि के लिए डे-एंड की प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाएगा और एसएमए या एनपीए वर्गीकरण तिथि वह कैलेंडर तिथि होगी जिसके लिए डे-एंड की प्रक्रिया चलाई जाती है। इस प्रकार, एसएमए/एनपीए की तिथि उस कैलेंडर तिथि के डे-एंड में खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को दर्शाएगी।

उदाहरण 1: यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि 31 मार्च 2021 है और इस तिथि के लिए एआईएफआई द्वारा डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, तो अतिदेय तिथि 31 मार्च 2021 मानी जाएगी। यदि यह लगातार अतिदेय रहता है, तो 30 अप्रैल 2021 को डे-एंड प्रक्रिया चलाने पर, यानी लगातार 30 दिनों तक अतिदेय रहने पर, इस खाते को एसएमए-1 के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। तदनुसार, उस खाते के लिए एसएमए-1 वर्गीकरण की तिथि 30 अप्रैल 2021 होगी।



इसी प्रकार, यदि खाता बकाया रहता है, तो 30 मई 2021 को डे-एंड की प्रक्रिया चलने पर इसे एसएमए-2 के रूप में टैग किया जाएगा और यदि यह आगे भी बकाया रहता है, तो 29 जून 2021 को डे-एंड की प्रक्रिया चलने पर इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

25. एआईएफआई की आस्तियों का अनर्जक के रूप में वर्गीकरण, मानदंडों को एकसमान और सुसंगत लागू करना सुनिश्चित करते हुए, वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर और सुस्पष्ट ऋण कमजोरियों के स्तर को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
26. एआईएफआई के पास एनपीए और पुनर्गठित आस्तियों के संबंध में सिस्टम द्वारा जनरेट की गई खंडवार जानकारी होनी चाहिए, जिसमें प्रारंभिक शेष, वृद्धि, कमी (उन्नयन, वास्तविक वसूली, बट्टे खाते में डालना आदि), समापन शेष, रखे गए प्रावधान, तकनीकी बट्टे खाते में डालना आदि से संबंधित डेटा शामिल हो सकता है।
27. एआईएफआई अपने सकल अग्रिम, निवल अग्रिम, सकल एनपीए और निवल एनपीए की गणना [अनुबंध-1](#) में दिए गए प्रारूप के अनुसार करेगा
28. यदि साख पत्रों के हस्तांतरण या लागू गारंटियों से उत्पन्न नामे को एक अलग खाते में रखा जाता है, तो उस खाते में बकाया राशि को भी इन निदेशों के लागू होने के उद्देश्य से उधारकर्ता के प्रधान परिचालन खाते का हिस्सा माना जाना चाहिए।

बी. अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण

29. एआईएफआई किसी ऋण या अग्रिम को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करेगा यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी होती है:
 - (1) सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक समय तक *अतिदेय* रहती है;
 - (2) खरीदे और भूनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहता है;
 - (3) अल्प अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त दो फसल मौसमों तक बकाया रहती है;
 - (4) दीर्घ अवधि की फसलों के लिए मूलधन या उस पर ब्याज की किस्त एक फसल मौसम तक बकाया रहती है;



(5) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश 2025 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक समय तक बकाया रहती है;

(6) डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में, डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट मूल्य का दर्शाने वाली अतिदेय प्राप्य राशियाँ, भुगतान की निर्दिष्ट नियत तिथि से 90 दिनों की अवधि तक अदा नहीं की जाती हैं।

बशर्ते कि ऐसे मामलों में जहां अनुबंध परिपक्वता से पहले डेरिवेटिव संविदा के वर्तमान मार्क-टू-मार्केट (एमटीएम) मूल्य के निपटान का प्रावधान करता है, केवल वर्तमान क्रेडिट एक्सपोजर (संभावित भविष्य के एक्सपोजर नहीं) को 90 दिनों की अतिदेय अवधि के बाद अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

बशर्ते इसके अतिरिक्त कि, यदि कोई एआईएफआई अपने विवेक के आधार पर, हेजिंग डेरिवेटिव संविदा के कल्पित एक्सपोजर को कम करने के लिए, परिपक्वता से पहले डेरिवेटिव संविदा को आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, और एआईएफआई ने ऐसे डेरिवेटिव संविदाओं (जिसमें विदेशी मुद्रा वायदा संविदा भी शामिल हैं) के क्रिस्टलीकृत एमटीएम के किशतों में भुगतान की अनुमति दी है, तो प्राप्य राशि को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा: (i) यदि डेरिवेटिव संविदा की आंशिक/पूर्ण समाप्ति की तिथि से 90 दिनों के लिए राशि बकाया हो जाती है; या (ii) यदि बाद की किशतों के भुगतान की नियत तिथि से 90 दिनों के लिए राशि बकाया हो जाती है।

30. पैरा 29 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त, इस अध्याय के कुछ विशिष्ट प्रावधानों के अनुसार, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पैरा 37 से 47 और भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निहित अनुदेश शामिल हैं, किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।
31. आस्ति वर्गीकरण उधारकर्ता-वार होगा, न कि सुविधा-वार। किसी एआईएफआई द्वारा उधारकर्ता को दी गई सभी सुविधाएं और उधारकर्ता द्वारा जारी की गई सभी प्रतिभूतियों में किया गया निवेश, सभी को एनपीए/ अनर्जक निवेश (एनपीआई) माना जाएगा, न कि वह विशेष सुविधा/निवेश या उसका कोई भाग जो अनियमित हो गया हो।



32. किसी आस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित होना चाहिए। एआईएफआई को किसी अग्रिम खाते को केवल कुछ अस्थायी कमियों के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए।
33. किसी अग्रिम को एनपीए (पैरा 52 में दिए गए प्रावधान के अलावा) या अन्यथा मानने के उद्देश्य से उधारकर्ता/गारंटर की प्रतिभूति या निवल मालियत की उपलब्धता को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।

सी. तुलन-पत्र की तारीख के आसपास खातों का नियमितीकरण

34. उधार खातों का आस्ति वर्गीकरण, जहां तुलन-पत्र की तारीख से पहले एक या कुछ क्रेडिट दर्ज किए जाते हैं, सावधानी से और व्यक्तिपरकता की गुंजाइश के बिना किया जाना चाहिए।
35. जहां उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर खाते में अंतर्निहित कमजोरी दिखाई देती है, वहां खाते को एनपीए माना जाना चाहिए।
36. अन्य वास्तविक मामलों में, एआईएफआई सांविधिक लेखा परीक्षकों/निरीक्षण अधिकारियों को खाते के नियमितीकरण के तरीके के बारे में संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा ताकि उनकी निष्पादन स्थिति पर संदेह दूर हो सके।

डी. आस्ति वर्गीकरण के विशिष्ट मामले

37. किसी उधारकर्ता के पक्ष में साख पत्र (एलसी) के तहत भुनाए गए बिलों को एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं भी किया जा सकता है, जब उधारकर्ता को दी गई कोई अन्य सुविधा एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाती है।
38. पैरा 37 के होते हुए भी, यदि एलसी के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुति पर स्वीकार नहीं किए जाते हैं या एलसी जारी करने वाले बैंक / एआईएफआई द्वारा किसी भी कारण से एलसी के अंतर्गत भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया जाता है और उधारकर्ता संबंधित भुनाए गए बिलों के परिणामस्वरूप संवितरित राशि का तुरंत भुगतान नहीं करता है, तो भुनाए गए बकाया बिलों को उस तिथि से तुरंत एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जिस तिथि से अन्य सुविधाओं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
39. डेरिवेटिव संविदा



(1) यदि अग्रिम संविदा और बिलकुल सादा स्वैप और विकल्पों से उत्पन्न होने वाले बकाया एनपीए बन जाते हैं, तो ग्राहक को दी गई अन्य सभी वित्तपोषित सुविधाएं भी उधारकर्ता-वार वर्गीकरण के सिद्धांत के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाएंगी।

(2) एनपीए के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में आय निर्धारण पैरा 114 के अनुसार होगी।

40. सहायता संघ (कंसोर्टियम) व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिम

(1) सहायता संघ के अंतर्गत खातों का आस्ति वर्गीकरण व्यक्तिगत सदस्य की वसूली के रिकॉर्ड और अग्रिमों की वसूली पर असर डालने वाले अन्य पहलुओं पर आधारित होगा।

(2) जहां संघीय ऋण व्यवस्था के तहत उधारकर्ता द्वारा भेजे गए धन को सहायता संघ के किसी सदस्य के पास एकत्रित किया जाता है और/या जहां धन प्राप्त करने वाला सहायता संघ सदस्य अन्य सदस्यों के हिस्से को नहीं छोड़ता है, तो खाते को अन्य सदस्यों की बही में सर्विस न किए गए खाते के रूप में माना जाएगा और इसलिए, इसे एनपीए माना जाएगा।

(3) सहायता संघ में भाग लेने वाले एआईएफआई को, अतः, अपनी बही में उचित आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए, अग्रणी बैंक से वसूली का अपना हिस्सा अंतरित करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए या वसूली के अपने हिस्से के अंतरण के लिए अग्रणी बैंक से स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

41. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी), किसान विकास पत्र (केवीपी) आदि के विरुद्ध अग्रिम

(1) अभ्यर्पण के लिए पात्र एनएससी, केवीपी और जीवन बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध अग्रिम को एनपीए के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

(2) सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी प्रतिभूतियों के विरुद्ध अग्रिम इस छूट के दायरे में नहीं आते हैं।

42. ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन के साथ ऋण



(1) औद्योगिक परियोजनाओं के लिए या कृषि बागानों आदि के लिए दिए गए वित्त के मामले में, जहां ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन उपलब्ध है, ब्याज का भुगतान अधिस्थगन या उत्पादन-पूर्व अवधि समाप्त होने के बाद ही 'देय' हो जाता है। ब्याज की ऐसी मात्रा अतिदेय नहीं होती है और इसलिए ब्याज की डेबिट की तारीख के संदर्भ में एनपीए नहीं बन जाती है। वे ब्याज के भुगतान के लिए नियत तारीख के बाद अतिदेय हो जाते हैं, यदि एकत्र नहीं किया जाता है।

(2) स्टाफ सदस्यों को आवास ऋण या ऐसे ही अग्रिमों के मामले में, जहां मूलधन की वसूली के बाद ब्याज देय है, ब्याज को पहली तिमाही से अतिदेय नहीं माना जाना चाहिए। ऐसे ऋणों/अग्रिमों को केवल एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, जब संबंधित नियत तारीखों पर मूलधन की किस्त के पुनर्भुगतान या ब्याज के भुगतान में चूक हो।

43. कृषि अग्रिम

(1) किसी कृषक द्वारा उठाए गए फसलों की अवधि के आधार पर, उप-पैराग्राफ 29 (3) और 29 (4) के अनुसार एनपीए मानदंड उनके द्वारा लिए गए कृषि सावधि ऋणों पर भी लागू किए जाएंगे।

(2) उप-पैराग्राफ 29 (3) और 29 (4) के अनुसार एनपीए मानदंड केवल कृषि गतिविधियों के लिए विस्तारित निम्नलिखित क्रेडिट सुविधाओं पर लागू:

(i) केवल कृषि में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न व्यक्तिगत किसानों [स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) सहित, अर्थात् व्यक्तिगत किसानों के समूहों को दिए गए ऋण, बशर्ते एआईएफआई ऐसे ऋणों का अलग-अलग डेटा रखती हो]। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(ए) किसानों को फसल ऋण, जिसमें पारंपरिक/गैर-पारंपरिक बागान और बागवानी शामिल होगी;

(बी) कृषि के लिए किसानों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण (उदाहरण के लिए: कृषि उपकरण और मशीनरी की खरीद और खेत में की जाने वाली अन्य विकासात्मक गतिविधियाँ);



(सी) किसानों को फसल कटाई से पहले और बाद की गतिविधियों, जैसे छिड़काव, कटाई, ग्रेडिंग और अपने स्वयं के कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए दिए गए ऋण;

(डी) कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) के गिरवी/बंधक के बदले किसानों को 60 लाख रुपये तक का ऋण, जो बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए न हो;

(ई) गैर-संस्थागत ऋणदाताओं से ऋणी संकटग्रस्त किसानों को दिए गए ऋण;

(एफ) कृषि प्रयोजनों के लिए भूमि क्रय हेतु लघु एवं सीमांत किसानों (एसएमएफ) को दिए गए ऋण।

(ii) कॉर्पोरेट किसानों, व्यक्तिगत किसानों के किसान उत्पादक संगठनों/कंपनियों (एफपीओ)/(एफपीसी), साझेदारी फर्मों और कृषि में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न किसानों की सहकारी समितियों को प्रति उधारकर्ता ₹4 करोड़ की कुल सीमा तक ऋण। इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(ए) किसानों को दिए जाने वाले फसल ऋण जिनमें पारंपरिक/गैर-पारंपरिक बागान और बागवानी शामिल होंगे;

(बी) कृषि के लिए किसानों को मध्यम और दीर्घकालिक ऋण (उदाहरण के लिए: कृषि उपकरणों की खरीद, तकनीकी समाधान, मशीनरी और खेत में की जाने वाली विकासात्मक गतिविधियाँ);

(सी) किसानों को फसल कटाई से पहले और बाद की गतिविधियों, जैसे छिड़काव, कटाई, छँटाई और अपने स्वयं के कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए दिए गए ऋण ;

(डी) कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) के गिरवी/बंधक के बदले 2.5 करोड़ रुपये तक के ऋण, जो बारह महीने से अधिक की अवधि के लिए न हों।



(iii) प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटियों (पीएसीएस), किसान सेवा सोसाइटियों (एफएसएस) और बड़े आकार वाली आदिवासी बहु प्रयोजनीय समितियों (एलएएमपीएस) को कृषि के लिए ऋण देना।

(3) कृषि ऋणों के संबंध में, उपरोक्त उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट ऋणों के अलावा, एनपीए की पहचान गैर-कृषि अग्रिमों के समान आधार पर की जाएगी, जो वर्तमान में 90 दिनों का चूक मानदंड है।

(4) इंदिरा आवास योजना / प्रधान मंत्री ग्राम आवास योजना और स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के तहत किसानों को दिए गए ग्रामीण आवास ऋणों के मामले में पुनर्भुगतान अनुसूची तय करते समय, एआईएफआई यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे ऋणों पर देय ब्याज / किस्त फसल चक्रों से जुड़ी हो।

44. सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम

(1) केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाएँ, भले ही अतिदेय हों, केवल तभी (एनपीए मानी जाएँगी जब सरकार गारंटी का दावा किए जाने पर उसका खंडन कर दे।

(2) उपरोक्त उप-पैरा (1) में दी गई छूट आय निर्धारण के उद्देश्य से नहीं है।

(3) राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड लागू होंगे यदि ब्याज और/या मूलधन या एआईएफआई को देय कोई अन्य राशि 90 दिनों से अधिक समय तक अतिदेय रहती है।

45. निर्यात परियोजना वित्त

(1) निर्यात परियोजना वित्तपोषण के संबंध में, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां वास्तविक आयातक ने विदेशी बैंक को बकाया राशि का भुगतान कर दिया हो, लेकिन युद्ध, संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध आदि जैसी राजनीतिक घटनाओं के कारण बैंक राशि भेजने में असमर्थ हो।

(2) ऐसे मामलों में, जहां ऋण देने वाली एआईएफआई दस्तावेजी साक्ष्य के माध्यम से यह सिद्ध कर सकता है कि आयातक ने एआईएफआई के बहीखातों में एनपीए होने से पहले विदेशी बैंक में राशि जमा करके बकाया राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया है, लेकिन आयातक का देश राजनीतिक या अन्य कारणों से धनराशि भेजने की अनुमति नहीं दे



रहा है, तो आस्ति वर्गीकरण आयातक द्वारा विदेशी बैंक में राशि जमा करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के बाद किया जा सकता है।

46. ऋण जोखिमों का अंतरण- ऋणों के अंतरण से संबंधित लेनदेन के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान संबंधी आवश्यकताएं भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – क्रेडिट जोखिम का अंतरण और संवितरण) निदेश 2025 के अनुसार होंगी।

47. अंतरण (टेकआउट) वित्त

(1) संबंधित एआईएफआई, जिसके बहीखातों में खाता प्रासंगिक तिथि को शेष पत्र मद के रूप में दर्ज है, आस्ति वर्गीकरण मानदंडों का पालन करेगा।

(2) यदि अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा अधिग्रहण से पहले ऋण सुविधा एनपीए हो जाती है, तो ऋण देने वाली एआईएफआई अस्ति को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करेगा

(3) किसी एआईएफआई द्वारा अधिग्रहण के बाद, अधिग्रहण करने वाली एआईएफआई आस्ति को उसके एनपीए होने की वास्तविक तिथि से ही एनपीए के रूप में वर्गीकृत करेगा, भले ही खाता उस तिथि को उसके बहीखातों में दर्ज न हो।

ई. अनर्जक आस्तियों की श्रेणियाँ

48. एआईएफआई, अनर्जक आस्तियों को, आस्ति के अनर्जक रहने की अवधि और देय राशि की वसूली योग्यता के आधार पर, 'अवमानक आस्तियों', 'संदिग्ध आस्तियों' और 'हानि आस्तियों' की श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा।

49. कोई एनपीए जिसे अवमानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्रेडिट कमजोरियां होंगी जो कर्ज के परिसमापन को खतरे में डालती हैं और इस बात की स्पष्ट संभावना होती है कि यदि कमियों को दूर नहीं किया जाता है तो एआईएफआई को कुछ नुकसान होगा।

50. कोई एनपीए जिसे संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उसमें वे सभी कमजोरियां होती हैं जो अवमानक आस्तियों में अंतर्निहित होती हैं, साथ ही यह अतिरिक्त विशेषता भी होती है कि इन कमजोरियों के कारण वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, स्थितियों और मूल्यों के आधार पर पूर्ण वसूली या परिसमापन अत्यधिक संदिग्ध और असंभव हो जाता है।



51. हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत एनपीए को असंग्रहणीय माना जाता है और इसका मूल्य इतना कम होता है कि बैंक योग्य आस्ति के रूप में इसका जारी रहना उचित नहीं है, भले ही इसमें कुछ अवशिष्ट या वसूली मूल्य हो।
52. पैरा 33 के बावजूद, उन खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में कमी या प्रतिभूति की अनुपलब्धता और उधारकर्ताओं द्वारा किए गए धोखाधड़ी जैसे अन्य कारकों के अस्तित्व के कारण वसूली के लिए संभावित खतरे हैं, आस्ति को उचित रूप से संदिग्ध या हानि प्रतिभूति के रूप में सीधे वर्गीकृत किया जाना चाहिए।
53. पैरा 52 के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित लागू होगा:
- (1) प्रतिभूति के मूल्य में गिरावट को महत्वपूर्ण तब माना जाएगा जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, एआईएफआई द्वारा मूल्यांकित मूल्य या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अंतिम निरीक्षण के समय स्वीकृत मूल्य के पचास प्रतिशत से कम हो। ऐसे एनपीए सीधे तौर पर संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किए जा सकते हैं।
 - (2) यदि एआईएफआई/अनुमोदित मूल्यांककों/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मूल्यांकित प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य, उधार खातों में बकाया राशि के दस प्रतिशत से कम है, तो प्रतिभूति का अस्तित्व नकार दिया जाएगा और आस्ति को सीधे तौर पर हानि आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

एफ. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन

54. एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' आस्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो।
55. पुनर्गठन, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ तिथि (डीसीसीओ) की प्राप्ति न होने आदि के कारण एनपीए के रूप में वर्गीकृत खातों के उन्नयन के संबंध में, इन निदेशों के अनुपालन के अतिरिक्त भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्दिष्ट अनुदेश लागू होंगे।
56. यदि उधारकर्ताओं के पास किसी एआईएफआई से एक से अधिक ऋण सुविधाएँ हैं, तो ऋण खातों को एनपीए से मानक आस्ति श्रेणी में तभी अपग्रेड किया जाएगा जब सभी ऋण सुविधाओं से संबंधित ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया जाएगा।



57. आंशिक और तकनीकी राइट-ऑफ का सहारा लेने वाली एआईएफआई ऋण या अग्रिम के शेष भाग को मानक आस्ति के रूप में नहीं दिखाएगी।



अध्याय IV - प्रावधानीकरण मानदंड

ए. प्रावधानीकरण के लिए सामान्य सिद्धांत

58. आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर प्रावधान किया जाएगा, जो आस्ति के अनर्जक रहने की अवधि, प्रतिभूति की उपलब्धता और उसके वसूली योग्य मूल्य पर आधारित होगा।
59. ऋण आस्तियों, निवेश या अन्य आस्तियों के मूल्य में किसी भी कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी एआईएफआई के प्रबंधन और सांविधिक लेखा परीक्षकों की है।
60. रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन एआईएफआई को प्रस्तुत किया जाता है ताकि इनके प्रबंधन और सांविधिक लेखा परीक्षकों को विवेकपूर्ण दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्याप्त और आवश्यक प्रावधान करने के संबंध में निर्णय लेने में सहायता मिल सके।
61. किसी खाते के वसूली के संदेहपूर्ण होने, उसके ऐसा निर्धारण, प्रतिभूति की वसूली और एआईएफआई के पास गिरवी रखी गई प्रतिभूति के मूल्य में समय के साथ होने वाली कमी के बीच के समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए, एआईएफआई को अवमानक आस्तियों, *संदिग्ध* आस्तियों और हानि आस्तियों के संबंध में प्रावधान करना होगा।
62. एआईएफआई द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (अवसंरचना परियोजनाओं सहित) के संबंध में उन्हें गिरवी रखी गई आस्तियों, लाइसेंसों, प्राधिकरणों आदि को मूर्त जमानत के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अतः ऐसे अग्रिमों को गैर-जमानती माना जाएगा।
63. एआईएफआई, सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं और टोल संग्रह अधिकारों के संबंध में निर्माण-परिचालन-अंतरण (बीओटी) मॉडल के तहत वार्षिकी को मूर्त जमानत के रूप में मान सकता है, जहां परियोजना प्रायोजक को एक निश्चित स्तर का यातायात प्राप्त न होने पर क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान है, बशर्ते कि वार्षिकी और टोल संग्रह अधिकार प्राप्त करने का एआईएफआई का अधिकार कानूनी रूप से लागू करने योग्य और अपरिवर्तनीय हो।
64. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं के मामले में, किसी एआईएफआई को देय ऋण को रियायत करार के अनुसार परियोजना प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित सीमा तक सुरक्षित माना जा सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें लागू हों:

(1) उपयोगकर्ता शुल्क/टोल/टैरिफ भुगतान एक निलंब खाते में रखे जाते हैं, जहां वरिष्ठ ऋणदाताओं को रियायतग्राही द्वारा निकासी पर प्राथमिकता प्राप्त होती है;



- (2) परियोजना राजस्व अपेक्षा से कम होने की स्थिति में, जोखिम को कम करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं, जैसे कि उपयोगकर्ता शुल्क में पूर्व-निर्धारित वृद्धि या रियायत अवधि में वृद्धि;
- (3) रियायतग्राही द्वारा चूक की स्थिति में ऋणदाताओं को प्रतिस्थापन का अधिकार होता है;
- (4) कर्ज चुकौती में चूक की स्थिति में ऋणदाताओं को समाप्ति करने का अधिकार होता है; और
- (5) समाप्ति होने पर, परियोजना प्राधिकरण का दायित्व है: (i) अनिवार्य खरीद; और (ii) पूर्व-निर्धारित तरीके से देय ऋण का पुनर्भुगतान।
- (6) ऐसे सभी मामलों में, एआईएफआई को त्रिपक्षीय करार के प्रावधानों की कानूनी प्रवर्तनीयता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करना होगा और ऐसे करारों के साथ अपने पिछले अनुभव को ध्यान में रखना होगा।

बी. मानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान

65. एआईएफआई को वैश्विक ऋण पोर्टफोलियो के आधार पर वित्तपोषित बकाया राशि के लिए निम्नलिखित दरों पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान करना होगा:

- (1) कृषि गतिविधियों, व्यक्तिगत आवास ऋणों और लघु एवं सूक्ष्म उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों को 0.25 प्रतिशत की दर पर ऋण;
- (2) वाणिज्यिक अचल संपत्ति (सीआरई) क्षेत्र को 1.00 प्रतिशत की दर पर ऋण;
- (3) वाणिज्यिक अचल संपत्ति - आवासीय आवास क्षेत्र (सीआरई - आरएच) को 0.75 प्रतिशत की दर पर ऋण;
- (4) पैरा 96 में उल्लिखित लुभावनी दरों पर आवास ऋण;
- (5) पुनर्गठित अग्रिम – जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में निर्धारित है;
- (6) उपर्युक्त (1) – (5) में शामिल न किए गए अन्य सभी ऋण और अग्रिम 0.40 प्रतिशत पर।

66. मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों पर 0.40 प्रतिशत मानक आस्ति प्रावधान लागू होगा।



67. निवल एनपीए की गणना करते समय मानक आस्तियों पर किए गए प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।
68. मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधानों को सकल अग्रिमों से घटाना आवश्यक नहीं है, बल्कि इन्हें बैलेंस शीट की अनुसूची 5 में 'अन्य देयताएं और प्रावधान अन्य' के अंतर्गत 'मानक आस्तियों के विरुद्ध आकस्मिक प्रावधान' के रूप में अलग से दिखाया जाना चाहिए।

सी. अवमानक आस्तियों के संबंध में प्रावधान

69. निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) गारंटी कवर और उपलब्ध प्रतिभूतियों के लिए कोई भत्ता दिए बिना, अवमानक आस्तियों के संबंध में कुल बकाया पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान किया जाना चाहिए।
70. जिन 'अरक्षित एक्सपोजर' की पहचान 'अवमानक' के रूप में की गई है, उन पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान लागू होगा, अर्थात् बकाया राशि पर कुल 25 प्रतिशत।
71. पैरा 70 में उल्लिखित बातों के बावजूद, अवसंरचना ऋण खातों को, जिन्हें अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, अवसंरचना ऋण के संबंध में उपलब्ध एस्करो खातों जैसी कुछ सुरक्षा व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए 20 प्रतिशत का प्रावधान लागू होगा। कम प्रावधान के इस लाभ को प्राप्त करने के लिए, एआईएफआई के पास नकदी प्रवाह को एस्करो में रखने के लिए एक उपयुक्त तंत्र होना चाहिए और साथ ही इन नकदी प्रवाहों पर उसका स्पष्ट और विधिक प्रथम दावा होना चाहिए।
72. पट्टे पर दी गई आस्तियों के मामले में, प्रावधान पट्टे में किए गए निवल निवेश और वित्त शुल्क घटक को घटाकर प्राप्त वित्त आय के अप्राप्त भाग के योग का 15 प्रतिशत होगा। 'पट्टे में निवल निवेश', 'वित्त आय' और 'वित्त शुल्क' शब्दों को 'एएस 19 पट्टे' में परिभाषित किया गया है।
73. असुरक्षित पट्टे के एक्सपोजर, जिन्हें 'अवमानक' के रूप में पहचाना जाता है, पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान लागू होगा, यानी कुल 25 प्रतिशत।

डी. संदिग्ध आस्तियों के संबंध में प्रावधान

74. एआईएफआई उस सीमा तक 100 प्रतिशत प्रावधान करेगा जिस सीमा तक अग्रिम राशि उस प्रतिभूति के वसूली योग्य मूल्य से कवर नहीं होती जिस पर एआईएफआई का वैध सहारा है और वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थवादी आधार पर लगाया जाता है।



75. प्रतिभूत हिस्से के संबंध में, आस्ति के संदिग्ध रहने की अवधि के आधार पर, प्रतिभूत हिस्से के 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की दरों पर निम्नलिखित आधार पर प्रावधान किया जाएगा:

वह अवधि जिसके लिए अग्रिम राशि 'संदिग्ध' श्रेणी में बनी हुई है	प्रावधान की आवश्यकता (प्रतिशत में)
एक वर्ष तक	25
एक से तीन वर्ष	40
तीन वर्ष से अधिक	100

76. 'संदिग्ध' श्रेणी में वर्गीकृत पट्टे पर दी गई आस्तियों के मामले में, पट्टे पर दी गई आस्ति के वसूली योग्य मूल्य द्वारा वित्त प्रतिभूत न होने की सीमा तक 100 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया जाएगा। वसूली योग्य मूल्य का अनुमान यथार्थवादी आधार पर लगाया जाना चाहिए।
77. उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त, पैरा 75 में निर्दिष्ट दरों पर पट्टे में निवल निवेश और प्रतिभूत हिस्से के वित्त शुल्क घटक को छोड़कर वित्त आय के अप्राप्त हिस्से के योग पर प्रावधान किया जाएगा, जो उस अवधि पर निर्भर करेगा जिसके लिए आस्ति संदिग्ध रही है।

ई. हानि आस्तियों के संबंध में प्रावधान

78. हानि आस्तियों को बट्टे खाते में डाल देना चाहिए।
79. यदि किसी कारणवश हानि आस्तियों को बहीखातों में रहने दिया जाता है, तो बकाया राशि का 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए।
80. इसी प्रकार, यदि किसी कारणवश, 'हानि' के रूप में वर्गीकृत पट्टे पर दी गई आस्ति को बहीखातों में रहने दिया जाता है, तो पट्टे में निवल निवेश और वित्त शुल्क घटक को घटाकर वित्त आय के अप्राप्त भाग के योग का 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाएगा।

एफ. निर्धारित दरों से अधिक दरों पर अतिरिक्त प्रावधान

81. इन निदेशों में निर्धारित प्रावधान दरें विनियामक न्यूनतम हैं।
82. एआईएफआई को अर्थव्यवस्था के दबावग्रस्त क्षेत्रों को दिए गए ऋणों के संबंध में उच्च दरों पर प्रावधान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिन्हें मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
83. बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक आस्तियों के लिए विनियामक न्यूनतम से अधिक दरों पर प्रावधान करने की नीति की समीक्षा कम से कम त्रैमासिक आधार पर की जाएगी, जिसमें एआईएफआई की विभिन्न अर्थव्यवस्था क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया जाएगा, ताकि उनमें मौजूद



और उभरते जोखिमों और तनावों का आकलन किया जा सके। समीक्षा में ऋण-इकिटी अनुपात, ब्याज कवरेज अनुपात, लाभ मार्जिन, रेटिंग अपग्रेड-डाउन अनुपात, क्षेत्रीय अनर्जक आस्तियां/दबावग्रस्त आस्तियां, उद्योग का कार्य-निष्पादन और दृष्टिकोण, क्षेत्र द्वारा सामना किए जाने वाले कानूनी/विनियामक मुद्दे आदि जैसे मात्रात्मक और गुणात्मक पहलू शामिल हो सकते हैं। समीक्षाओं में क्षेत्र-विशिष्ट मापदंड भी शामिल हो सकते हैं।

84. इसी प्रकार, कोई एआईएफआई स्वेच्छा से एनपीए के लिए इन निदेशों के तहत निर्धारित दरों से अधिक दरों पर विशिष्ट प्रावधान कर सकता है, ताकि वसूली योग्य राशि में अनुमानित वास्तविक हानि की भरपाई की जा सके, बशर्ते कि ऐसी उच्च दरों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाए और वर्ष दर वर्ष लगातार अपनाया जाए।
85. एनपीए के लिए अतिरिक्त प्रावधान, जैसे कि एनपीए पर न्यूनतम विनियामक प्रावधान, सकल एनपीए से घटाकर निवल एनपीए प्राप्त किया जा सकता है।

जी. विशेष परिस्थितियों में प्रावधान

86. धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में प्रावधान

(1) धोखाधड़ी का पता चलने पर एआईएफआई सामान्यतः एआईएफआई को देय या जिसके लिए एआईएफआई उत्तरदायी है, उस पूरी राशि के लिए (जमा खातों के मामले सहित) तुरंत प्रावधान करेगा।

(2) तिमाही लाभ-हानि पर ऐसे प्रावधान के प्रभाव को कम करने के लिए, एआईएफआई के पास धोखाधड़ी का पता चलने वाली तिमाही से शुरू होकर अधिकतम चार तिमाहियों की अवधि में प्रावधान करने का विकल्प है।

(3) प्रावधान आवश्यकता की गणना करते समय, एआईएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश 2025 के अनुसार उपलब्ध क्रेडिट जोखिम न्यूनीकरण तकनीकों के तहत पात्र वित्तीय संपार्श्विक को समायोजित कर सकता है, यदि कोई हो, जो धोखाधड़ी खाता घोषित किए गए खातों के संबंध में उनके पास उपलब्ध है।

87. जमा के बदले अग्रिम / विशिष्ट लिखतों –अभ्यर्पण के लिए पात्र एनएससी, केवीपी, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों और जीवन बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध अग्रिम पर उनकी आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार प्रावधान आवश्यकताएं लागू होंगी।



88. ब्याज उचंत खाते का निरूपण

- (1) ब्याज उचंत खाते में रखी गई राशि को प्रावधानों के भाग के रूप में नहीं गिना जाएगा।
- (2) ब्याज उचंत खाते में रखी राशि को संबंधित अग्रिमों से घटाया जाएगा और उसके बाद, ऐसी कटौती के बाद शेष राशि पर मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

89. परियोजना वित्त

- (1) परियोजना वित्त ऋणों के लिए, एआईएफआई को पोर्टफोलियो आधार पर वित्तपोषित बकाया राशि के लिए निम्नलिखित दरों पर सामान्य प्रावधान बनाए रखना होगा:

	निर्माण चरण (प्रतिशत में)	परिचालन चरण – ब्याज <u>और</u> मूलधन के पुनर्भुगतान की शुरुआत के बाद (प्रतिशत में)
सीआरई	1.25	1.00
सीआरई- आरएच	1.00	0.75
अन्य सभी	1.00	0.40

- (2) जिन खातों ने डीसीसीओ आस्थगन का लाभ उठाया है और जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनके लिए एआईएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 के अनुसार अतिरिक्त विशिष्ट प्रावधान बनाए रखेगा।

- (3) उपरोक्त उप-पैराग्राफ (1) और (2) में निर्धारित प्रावधान उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होंगे जिनमें 1 अक्टूबर 2025 को वित्तीय समापन प्राप्त हो चुका है और ऐसे परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2025 से पहले प्रचलित विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों का पालन किया जाता रहेगा, अन्यथा उन्हें निरस्त माना जाएगा।

- (4) उपरोक्त उप-पैराग्राफ (3) के होते हुए भी, यदि 1 अक्टूबर, 2025 के बाद ऐसी परियोजनाओं में किसी नए क्रेडिट इवेंट का समाधान और/या ऋण करार में भौतिक नियम और शर्तों में कोई परिवर्तन, के मामले में उप-पैराग्राफ (1) और (2) में निर्धारित प्रावधान इन परियोजनाओं पर इस प्रकार लागू होंगे मानो इन्हें 1 अक्टूबर, 2025 के बाद स्वीकृत किया गया हो।



(5) एनपीए के रूप में वर्गीकृत परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान इन निदेशों के पैरा 69 से 80 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार होगा।

90. ईसीजीसी गारंटी द्वारा कवर किए गए अग्रिम

(1) ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत और संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत अग्रिमों के मामले में, प्रावधान केवल ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत राशि से अधिक शेष राशि के लिए किया जाएगा।

(2) इसके अतिरिक्त, संदिग्ध आस्तियों के लिए किए जाने वाले प्रावधान की गणना करते समय, प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य को पहले ईसीजीसी द्वारा गारंटीकृत राशि के संबंध में बकाया शेष राशि से घटाया जाएगा और फिर प्रावधान किया जाएगा।

उदाहरण I:

बकाया राशि	₹4 लाख
ईसीजीसी कवर	50 प्रतिशत
वह अवधि जिसके लिए अग्रिम संदिग्ध बना हुआ है	दो वर्ष से अधिक समय तक संदिग्ध बना रहा (उदाहरण के लिए 31 मार्च 2014 को)
धारित प्रतिभूति का मूल्य	₹1.50 लाख

आवश्यक प्रावधान जो किए जाने हैं:

बकाया राशि	₹4.00 लाख
घटा: धारित प्रतिभूति का मूल्य	₹1.50 लाख
अप्राप्त शेष राशि	₹2.50 लाख
घटा: ईसीजीसी कवर (अप्राप्त शेष राशि का 50 प्रतिशत)	₹1.25 लाख
निवल अरक्षित शेष	₹1.25 लाख
अग्रिम राशि के अरक्षित हिस्से के लिए प्रावधान	₹1.25 लाख (@अरक्षित हिस्से का 100 प्रतिशत)
अग्रिम राशि के रक्षित हिस्से के लिए प्रावधान (31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार)	₹0.60 लाख (@रक्षित हिस्से का 40 प्रतिशत)
कुल प्रावधान जो किया जाना है	₹1.85 लाख (31 मार्च 2014 को)

91. सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीटीएमएसई), कम आय आवास के लिए क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट (सीआरजीएफटीएलआईएच) और राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं के तहत गारंटी द्वारा कवर किया गया अग्रिम।



(1) यदि सीजीटीएमएसई, सीआरजीएफटीएलआईएच और एनसीजीटीसी द्वारा शुरू की गई किसी भी मौजूदा या भविष्य की योजनाओं/गारंटी के अंतर्गत दिया गया अग्रिम अनर्जक हो जाता है, तो गारंटीकृत हिस्से के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(2) गारंटीकृत हिस्से से अधिक बकाया राशि के लिए अनर्जक आस्तियों के प्रावधान संबंधी मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान किया जाएगा।

उदाहरण II:

बकाया राशि	₹10 लाख
सीजीटीएमएसई/सीआरजीएफटीएलआईएच कवर	बकाया राशि का 75 प्रतिशत या अरक्षित राशि का 75 प्रतिशत या ₹37.50 लाख, इनमें से जो भी कम हो
वह अवधि जिसके लिए अग्रिम संदिग्ध बना हुआ है	दो वर्ष से अधिक समय तक संदिग्ध बना रहा (उदाहरण के लिए 31 मार्च 2014 को)
धारित प्रतिभूति का मूल्य ₹1.50 लाख	धारित प्रतिभूति का मूल्य ₹1.50 लाख

आवश्यक प्रावधान जो किए जाने हैं:

बकाया राशि	₹10.00 लाख
घटा: प्रतिभूति का मूल्य	₹1.50 लाख
अरक्षित राशि	₹8.50 लाख
घटा: सीजीटीएमएसई/सीआरजीएफटीएलआईएच कवर (75 प्रतिशत)	₹6.38 लाख
निवल अरक्षित और कवर नहीं किया हुआ भाग:	₹2.12 लाख
रक्षित भाग के लिए प्रावधान @ ₹1.50 लाख का 40 प्रतिशत	₹0.60 लाख
अरक्षित और कवर नहीं किए गए भाग के लिए प्रावधान @ ₹2.12 लाख का 100 प्रतिशत	₹2.12 लाख
कुल प्रावधान जो किया जाना है	₹2.72 lakh

92. विनिमय दर में घट-बढ़ खाते के लिए प्रारक्षित राशि (आरईआरएफए)

जब भारतीय रुपये की विनियम दर में प्रतिकूल गतिविधि हो तो विदेशी मुद्रा की अधिकता वाले ऋण की बकाया राशि (जहां वास्तविक वितरण भारतीय रुपये में किया गया हो) कालातीत देय राशि हो जाती है तो वह तदनुसार बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान की अपेक्षाओं पर भी असर पड़ता है। इस प्रकार की आस्तियों का सामान्यतः पुनर्मूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस तरह की आस्तियों का पुनर्मूल्यन लेखाकरण की अपेक्षाओं के अनुसार अथवा किसी अन्य अपेक्षा के कारण किया जाये तो निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी जानी चाहिए:

(i) आस्तियों के पुनर्मूल्यन पर हानि को एआईएफआई के लाभ और हानि खाते में डाला जाना चाहिए।



(ii) आस्ति वर्गीकरण के अनुसार प्रावधान की अपेक्षा के अतिरिक्त, पुनर्मूल्यन से लाभ की संपूर्ण राशि को विशिष्ट आस्तियों पर प्रावधान के रूप में विदेशी मुद्रा विनिमय में घट-बढ़ के कारण तदनुरूपी आस्तियों, यदि कोई हों, के संबंध में माना जाना चाहिए।

93. देश जोखिम के लिए प्रावधान करना

(1) एआईएफआई को देश विशेष संबंधी अपने निवल निधिगत एक्सपोजर पर 0.25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के क्रमिक मान (स्केल) के आधार पर नीचे दिये गये जोखिम संवर्ग के अनुसार प्रावधान करना चाहिए:

जोखिम का संवर्ग	ईसीजीसी का वर्गीकरण	प्रावधान आवश्यकता (प्रतिशत)
नगण्य	ए1	0.25
कम जोखिम	ए2	0.25
सामान्य रूप से कम जोखिम	बी1	5
सामान्य जोखिम	बी2	20
सामान्य रूप से अधिक जोखिम	सी1	25
अधिक जोखिम	सी2	100
बहुत अधिक जोखिम	डी	100

(2) एआईएफआई को उस देश के संबंध में देश जोखिम के लिए प्रावधान करना होगा जहां उसका निवल वित्तपोषित जोखिम उसकी कुल आस्तियों का एक प्रतिशत या उससे अधिक है।

(3) देश जोखिम के लिए प्रावधान, आस्ति की आस्ति वर्गीकरण स्थिति के अनुसार रखे जाने वाले प्रावधानों के अतिरिक्त होगा।

(4) उपरोक्त उप-पैरा (3) के होते हुए भी, 'हानि आस्तियों' और 'संदिग्ध आस्तियों' के मामले में, देश जोखिम के लिए रखे गए प्रावधान सहित, रखा गया प्रावधान बकाया राशि के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) 'स्वदेश' संबंधी एक्सपोजर अर्थात् भारत संबंधी एक्सपोजर के लिए एआईएफआई को प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) एआईएफआई की विदेश स्थित शाखाओं के मूल देश संबंधी एक्सपोजर को प्रावधान आवश्यकताओं की गणना में शामिल किया जाना चाहिए।



(7) एआईएफआई अल्पावधि के एक्सपोजर (अर्थात् 180 दिन से कम अवधि के संविदागत परिपक्वता वाले जोखिम) के संबंध में कम स्तर का प्रावधान (जैसे, अपेक्षित प्रावधान का 25 प्रतिशत) कर सकता है।

94. प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए प्रदान की गई चलनिधि सुविधा के लिए प्रावधान मानदंड

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश 2025 के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में 90 दिनों से अधिक समय से आहरित की गई और बकाया चलनिधि सुविधा की राशि के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाएगा।

95. डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएँ

(1) ब्याज दर व विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेनों, ऋण चूक स्वेप तथा स्वर्ण संबंधी संविदा के वर्तमान बाजार- दर-आधारित मूल्य पर की गयी गणना के अनुसार संबंधित काउंटरपार्टियों के ऋण एक्सपोजर पर भी उसी प्रकार प्रावधानीकरण अपेक्षा लागू होगी जैसे 'मानक' संवर्ग की ऋण आस्तियों पर लागू होती है।

(2) मानक आस्तियों के प्रावधान के संबंध में जो सारी शर्तें लागू होती हैं, ये सब डेरिवेटिव और स्वर्ण एक्सपोजरों के लिए किए जानेवाले उपर्युक्त प्रावधानों पर भी लागू होंगी।

96. आवास ऋणों के लिए लुभावनी दरों पर प्रावधान करना

(1) लुभावनी दरों पर दिए गए आवास ऋणों की बकाया राशि पर मानक आस्ति प्रावधान, अर्थात् प्रारंभिक कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर दिए गए ऋणों पर, जिनके बाद दरें उच्च दरों पर निर्धारित की जाती हैं, इनसे जुड़े उच्च जोखिम को देखते हुए 2.00 प्रतिशत होगा।

(2) यदि खाते 'मानक' बने रहते हैं, तो उच्च दरों पर निर्धारित किए जाने की तिथि से एक वर्ष बाद इन आस्तियों पर प्रावधान 0.40 प्रतिशत पर वापस आ जाएगा।

97. इरादतन चूककर्ता

(1) ऐसी कंपनियों को दिए गए मौजूदा ऋणों/ एक्सपोजरों के संबंध में प्रावधान, जिनके निदेशक (संकट के समय नियुक्त किए गए सरकारी/वित्तीय संस्थानों के नामित निदेशकों को छोड़कर) का नाम इरादतन चूककर्ताओं की सूची में एक से अधिक बार आता है, वहां मानक खातों के मामलों में पांच प्रतिशत होगा।



(2) यदि ऐसे खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उस पर निम्नलिखित अनुसार त्वरित प्रावधान लागू होगा।

आस्ति वर्गीकरण	एनपीए के रूप में अवधि	नियमित प्रावधान (प्रतिशत में)	त्वरित प्रावधान (प्रतिशत में)
अवमानक (रक्षित)	6 महीने तक	15	कोई बदलाव नहीं
	6 महीने से 1 वर्ष तक	15	25
अवमानक (आरंभिक अरक्षित)	6 महीने तक	25 (अवसंरचना ऋण के अलावा)	25
		20 (अवसंरचना ऋण)	
	6 महीने तक	25 (अवसंरचना ऋण के अलावा)	40
		20 (अवसंरचना ऋण)	
संदिग्ध I	दूसरा वर्ष	25 (रक्षित भाग)	40 (रक्षित भाग)
		100 (अरक्षित भाग)	100 (अरक्षित भाग)
संदिग्ध II	तीसरे और चौथे वर्ष	40 (रक्षित भाग)	रक्षित और अरक्षित दोनों भागों के लिए 100
		100 (अरक्षित भाग)	
संदिग्ध III	5वें वर्ष से आगे	100	100

98. अंतरण (टेकआउट) वित्तपोषण

(1) ऋण देने वाला एआईएफआई और/या अधिग्रहण करने वाला एआईएफआई, पैरा 62 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण के अनुरूप उचित प्रावधान करेगा।

(2) जब भी अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा आस्ति का अधिग्रहण किया जाता है, ऋण देने वाली एआईएफआई संबंधित प्रावधानों को प्रतिवर्तित कर सकता है।

एच. प्रोविजनिंग कवरेज अनुपात (पीसीआर)

99. समष्टि विवेकपूर्ण दृष्टि से एआईएफआई को अच्छे समय में, यानी जब लाभ अच्छा हो रहा हो, प्रावधानीकरण और पूंजी संचय में वृद्धि करनी चाहिए, जिनका प्रयोग मंदी के दौर में हानि को अत्मसात् करने में किया जा सकता है।

100. रिज़र्व बैंक ने किसी एआईएफआई के लिए पीसीआर का कोई विनियामक न्यूनतम स्तर निर्धारित नहीं किया है और यह एआईएफआई के विवेक पर छोड़ दिया गया है।



अध्याय V - आय निर्धारण

ए. आय निर्धारण के लिए सामान्य सिद्धांत

101. एआईएफआई केवल 'मानक' श्रेणी में वर्गीकृत ऋण सुविधाओं के संबंध में ही उपार्जन के आधार पर आय निर्धारण करेगा।
102. सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण सुविधाओं सहित, 'मानक' श्रेणी में वर्गीकृत न की गई ऋण सुविधाओं के लिए, आय निर्धारण वास्तविक प्राप्ति के आधार पर, अर्थात् नकद आधार पर की जाएगी।
103. पैरा 102 के होते हुए भी, एनएससी, केवीपी और जीवन बीमा पॉलिसियों के विरुद्ध दिए गए अग्रिमों पर ब्याज देय तिथि पर आय खाते में लिया जा सकता है, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।
104. बकाया ऋणों के पुनर्गठन या पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप एआईएफआई द्वारा अर्जित शुल्क और कमीशन को पुनर्प्रक्रामित या पुनर्निर्धारित ऋण विस्तार की अवधि में उपार्जन के आधार पर निर्धारण किया जाएगा।

बी. एनपीए के रूप में वर्गीकरण होने पर आय का प्रतिवर्तन

105. यदि कोई अग्रिम, जिसमें खरीदे और भुनाए गए बिलों के साथ-साथ सरकारी गारंटीकृत खाता भी शामिल है, एनपीए हो जाता है, तो पिछली अवधियों में अर्जित और आय खाते में जमा किया गया संपूर्ण ब्याज, यदि वह वसूल नहीं किया जाता है, तो प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।
106. यदि ब्याज भुगतान पर अधिस्थगन (ऋण की स्वीकृति के समय अनुमत) वाले ऋण, अधिस्थगन की अवधि समाप्त होने के बाद एनपीए हो जाते हैं, तो अधिस्थगन की अवधि के दौरान अर्जित ब्याज के अनुरूप पूंजीकृत ब्याज, यदि कोई हो, को प्रतिवर्तित की आवश्यकता नहीं है।
107. एनपीए के संबंध में, अर्जित शुल्क, कमीशन और इसी तरह की आय वर्तमान अवधि में अर्जित होना बंद हो जाती है और यदि पिछली अवधियों में वसूल नहीं की गई है तो उसे प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।
108. पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में, पट्टे पर दी गई आस्ति पर वित्त आय (जैसा कि 'एस 19 पट्टे' में परिभाषित है) का वित्त प्रभार घटक, जो आस्ति के अनर्जक होने से पहले अर्जित किया गया था



और आय खाते में जमा किया गया था और अप्राप्त रहा है, उसे चालू लेखा अवधि में प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा या उसके लिए प्रावधान किया जाएगा।

सी. एनपीए वर्गीकरण के बाद ब्याज लगाना

109. किसी खाते के एनपीए हो जाने पर एआईएफआई द्वारा ऐसे खाते पर पहले ही लगाए गए लेकिन वसूल नहीं किए गए ब्याज को लाभ तथा हानि खाता के नामे करते हुए प्रत्यावर्तित कर देगा तथा उस पर आगे ब्याज की संगणना नहीं करेगा।
110. एआईएफआई अपनी बहियों के मेमोरंडम खाते में इस प्रकार के उपचित ब्याज की दर्ज करना जारी रखेगा।
111. सकल अग्रिमों की संगणना के प्रयोजन से मेमोरंडम खाते में दर्ज ब्याज को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए।

डी. एनपीए से वसूली का विनियोजन

112. अनर्जक आस्तियों पर वसूल ब्याज को आय खाते में लिया जाए, बशर्ते ब्याज हेतु खातों में जमा राशि संबंधित ऋणकर्ता को संस्वीकृत नयी / अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में से न हो।
113. अनर्जक आस्तियों (अर्थात् देय मूलधन या ब्याज) में वसूली के विनियोग के प्रयोजन के लिए एआईएफआई और ऋणकर्ता के बीच स्पष्ट करार न होने से, एआईएफआई को लेखांकन सिद्धांत अपनाना चाहिए तथा वसूलियों के विनियोग के अधिकार का एकसमान और सुसंगत रूप में प्रयोग करना चाहिए।

ई. विशेष मामलों में आय निर्धारण

114. एनपीए के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव करार

(1) एनपीए के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव करारों के संबंध में, उपार्जन आधार पर पहले से ही दर्ज की गई और 'लाभ और हानि खाते' में ले जाई गई अप्राप्त आय को दर्शाने वाली राशि को प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा और 'उचंत खाता-क्रिस्टलीकृत प्राप्य राशि' में रखा जाएगा, जैसा कि अतिदेय अग्रिमों के मामले में किया जाता है।

(2) इसके अतिरिक्त, उन मामलों में जहां डेरिवेटिव करारों में भविष्य में और अधिक निपटान का प्रावधान है, एमटीएम मूल्य में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) क्रिस्टलीकृत प्राप्य राशियां; और



(ii) भविष्य की प्राप्य राशियों के संबंध में सकारात्मक या ऋणात्मक एमटीएम।

(3) यदि डेरिवेटिव करार 90 दिनों तक बकाया प्राप्य राशि के भुगतान न होने पर समाप्त नहीं किया जाता है, तो उप-पैरा (1) में ऊपर उल्लेखानुसार लाभ और हानि खाते से क्रिस्टलीकृत प्राप्य राशि को प्रतिवर्तित करने के अलावा, भविष्य की प्राप्य राशियों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से 'उचंत खाता - सकारात्मक एमटीएम' नामक दूसरे खाते में प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा।

(4) एमटीएम मूल्य में बाद के सकारात्मक परिवर्तन को 'उचंत खाता - सकारात्मक एमटीएम' में जमा किया जाएगा, न कि लाभ और हानि खाते में।

(5) एमटीएम मूल्य में बाद में होने वाली गिरावट को 'उचंत खाता - सकारात्मक एमटीएम' में शेष राशि के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। यदि इस खाते में शेष राशि पर्याप्त नहीं है, तो शेष राशि को लाभ और हानि खाते में डेबिट किया जा सकता है।

(6) बकाया राशि का नकद भुगतान करने पर, 'उचंत खाता- क्रिस्टलीकृत प्राप्य राशियां' में शेष राशि, भुगतान की सीमा तक, 'लाभ और हानि खाते' में अंतरित कर दी जाएगी।

(7) यदि एआईएफआई के पास उधारकर्ता पर अन्य डेरिवेटिव ऋण हैं, तो किसी विशेष डेरिवेटिव लेनदेन के संबंध में क्रिस्टलीकृत/निपटान राशि को एनपीए के रूप में माने जाने के बाद अन्य डेरिवेटिव ऋणों के एमटीएम को भी इस पैराग्राफ में वर्णित तरीके से निपटाया जाएगा / लेखांकित किया जाएगा।

(8) इसी प्रकार, यदि किसी उधारकर्ता को दी गई निधि-आधारित ऋण सुविधा को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो सभी डेरिवेटिव जोखिमों के एमटीएम को इस पैराग्राफ के अनुसार माना जाना चाहिए।

115. अंतरण(टेकआउट) वित्तपोषण

(1) आय निर्धारण के लिए मानदंडों का पालन उस एआईएफआई द्वारा किया जाएगा जिसके बहीखातों में खाता प्रासंगिक तिथि को तुलन पत्र मद के रूप में दर्ज है।

(2) यदि अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा अधिग्रहण से पहले ऋण सुविधा एनपीए हो जाती है, तो ऋण देने वाली एआईएफआई को उपार्जन के आधार पर आय निर्धारण नहीं



करना चाहिए और इसका लेखा-जोखा तभी करना चाहिए जब उधारकर्ता/अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा इसका भुगतान किया जाए (यदि व्यवस्था में ऐसा प्रावधान हो)।

116. ऐसे ऋणों के मामलों में जहां ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए अधिस्थगन दिया गया है, उन खातों, जिन्हें 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, के लिए उपार्जन आधार पर आय निर्धारण किया जा सकता है। इसका मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश 2025 में दी गई 'पुनर्गठन' की परिभाषा के अनुसार किया जाएगा।

एफ. प्रावधानों के संबंध में कर निर्धारण

117. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43(डी) के अनुसार, ऐसे अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों की श्रेणियों के संबंध में ब्याज के रूप में प्राप्त आय, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऐसे ऋणों के संबंध में जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए, उस पिछले वर्ष में कर योग्य होगी जिसमें इसे लाभ और हानि खाते में जमा किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, जो भी पहले हो।
118. पैरा 117 में उल्लिखित प्रावधान इन निदेशों के अनुसार किए जाने वाले प्रावधान पर लागू नहीं होता है। अतः, इन निदेशों के अनुसार एनपीए के लिए प्रावधान करने हेतु अलग रखी गई राशि कर कटौती के लिए पात्र नहीं है।
119. एआईएफआई या तो इन निदेशों के अनुसार पूर्ण प्रावधान करेगी या ऐसे अग्रिमों को बढ़े खाते में डालेगा और अपने लेखा परीक्षकों/कर सलाहकारों के परामर्श से उचित कार्यप्रणाली विकसित करके लागू कर लाभों का दावा करेगी।
120. ऐसे खातों में की गई वसूली को नियमों के अनुसार कर प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।



अध्याय VI – निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचाव

121. इन निदेशों के जारी होने के साथ ही, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था पर लागू आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण से संबंधित मौजूदा निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त हो गए हैं, जैसा कि [दिनांक 28 नवंबर 2025 के परिपत्र वि.वि.आर.आर.सी.आर.ई.सी.302/33-01-010/2025-26](#) के माध्यम से सूचित किया गया है। इन निदेशों के जारी होने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त बने रहेंगे।
122. ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई या की जाने वाली या आरंभ की गई कोई भी कार्रवाई, उनके प्रावधानों द्वारा शासित होती रहेगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दिए गए सभी अनुमोदन या अभिस्वीकृतियाँ इन निदेशों द्वारा शासित मानी जाएँगी। इसके अलावा, इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त करने से निम्न पर किसी भी प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

- (1) इसके अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, दायित्व या देयता;
- (2) इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई जुर्माना, जब्ती या दंड;
- (3) किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, जुर्माना, जब्ती या पूर्वोक्त दंड के संबंध में कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार; और ऐसी कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार शुरू किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी जुर्माना, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है जैसे कि इन निदेशों, अनुदेशों या दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया हो।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

123. इन निदेशों के प्रावधान वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून, नियम, विनियम या निदेश के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके प्रतिकूल।

सी. व्याख्याएं

124. इन निदेशों के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से या इन निदेशों के प्रावधानों के अनुप्रयोग या व्याख्या में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे



तो, इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की दी गई व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

वैभव चतुर्वेदी
(मुख्य महाप्रबंधक)



अनुबंध - I

सकल अग्रिम, सकल एनपीए, निवल अग्रिम और निवल एनपीए का विवरण

भाग ए

(₹ in crore up to two decimals)		
Particulars		Amount
1.	Standard Advances	
2.	Gross NPAs *	
3.	Gross Advances ** (1+2)	
4.	Gross NPAs as a percentage of Gross Advances (2/3) (in per cent)	
5.	Deductions	
(i)	Provisions held in the case of NPA Accounts as per asset classification (including additional Provisions for NPAs at higher than prescribed rates).	
(ii)	DICGC / ECGC claims received and held pending adjustment	
(iii)	Part payment received and kept in Suspense Account or any other similar account	
(iv)	Balance in Sundries Account (Interest Capitalization - Restructured Accounts), in respect of NPA Accounts	
6.	Net Advances (3-5)	
7.	Net NPAs {2-5(i + ii + iii + iv)}	
8.	Net NPAs as percentage of Net Advances (7/6) (in per cent)	
*	Principal dues of NPAs plus Funded Interest Term Loan (FITL) where the corresponding contra credit is parked in Sundries Account (Interest Capitalization - Restructured Accounts), in respect of NPA Accounts.	
**	For the purpose of this Statement, 'Gross Advances' mean all outstanding loans and advances including advances for which refinance has been received but excluding rediscounted bills, and advances written off at Head Office level (Technical write off).	

भाग बी

अनुपूरक विवरण

(₹ in crore up to two decimals)		
Particulars		Amount
1.	Provisions on Standard Assets in Part A above	
2.	Interest recorded as Memorandum Item	
3.	Amount of cumulative Technical Write - Off in respect of NPA accounts reported in Part A above	